–:: कार्यालय पुलिस कमिश्नर रायपुर, छत्तीसगढ़ ::–

आदेश

(अंतर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023)

पुलिस उपायुक्त मध्य क्षेत्र, पुलिस कमिश्नरेट रायपुर द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन कमांक/पु.उपा./मध्य/राय/82/26 दिनांक 22.02.2026 द्वारा रायपुर के अति व्यस्ततम मार्गो में सुगम यातायात, कानून व्यवस्था व जनसुविधा के दृष्टिकोण से प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक किसी प्रकार की रैली, शोभायात्रा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन आदि के आयोजन को प्रतिबंधित किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः पुलिस उपायुक्त मध्य क्षेत्र, पुलिस कमिश्नरेट रायपुर के उपरोक्त प्रतिवेदन से सहमत होकर परिशांति, लोकहित एवं कानून–व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 अंतर्गत नीचे वर्णित क्षेत्रों में प्रातः 09:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक किसी प्रकार की रैली, शोभायात्रा, जुलूस, अन्य प्रकार के प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाता है :–

1. जी.ई.रोड में शारदा चौक से जयस्तंभ चौक होते हुए शास्त्री चौक तक
2. मालवीय रोड में जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक तक
3. सदर बाजार रोड में कोतवाली से सत्तीबाजार चौक तक तथा
4. एम.जी.रोड में गुरूनानक चौक से शारदा चौक तक

उपरोक्त वर्णित क्षेत्र के लिए किसी प्रकार की रैली, शोभायात्रा, जुलूस अन्य प्रकार के प्रदर्शन धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत, आदेश तिथि से आगामी 02 माह तक प्रतिबंधित रहेंगे।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर तथा पदमुद्रा से दिनांक 25/02/2026 को जारी किया गया है।

(हस्ताक्षर)
पुलिस कमिश्नर
रायपुर, छत्तीसगढ़

कमांक/पुलिस कमिश्नर/राय/स्टेनो/ 73 /2026 दिनांक 25/02/2026

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (गुप्तवार्ता), पुलिस मुख्यालय,रायपुर की ओर कृपया सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर की ओर कृपया सूचनार्थ।
4. अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर की ओर कृपया सूचनार्थ।
6. आयुक्त नगर निगम रायपुर की ओर कृपया सूचनार्थ।
7. पुलिस उपायुक्त, मध्य, उत्तर, पश्चिम, यातायात, पुलिस कमिश्नरेट रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, मध्य, उत्तर, पश्चिम, यातायात, मुख्यालय, पुलिस कमिश्नरेट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Scanned by CamScanner

9. समस्त सहायक पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

10. उप संचालक, जनसपर्क, नगर निगम के पास, रायपुर को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित ।

11. रक्षित निरीक्षक, रक्षित केन्द्र पुलिस कमिश्नरेट की ओर ओ.बी. एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12. प्रभारी कंट्रोल रूम/जिला विशेष शाखा, पुलिस कमिश्नरेट रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

28/2/26

पुलिस कमिश्नर

रायपुर, छत्तीसगढ़

Scanned by CamScanner